सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 141/2017 अपील
पंजीयन दिनांक – 14.11.2017
निर्णय दिनांक – 19.04.2018

1. श्री कालु पिता भेरा जी ड़ांगी, निवासी मांगथला (पांचावतों का ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रामलाल पिता रूपा जी डांगी, निवासी मांगथला (पांचावतों का ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्री भूरालाल पिता रूपा जी डांगी, निवासी मांगथला (पांचावतों का ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती केसी पिता रूपा जी डांगी, पत्नि चतरा डांगी, निवासी मांगथला (पांचावतों का ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती टमू पिता रूपा जी डांगी, पत्नि टीला डांगी, निवासी रामा (भागल) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. श्रीमती दोली पिता रूपा जी डांगी, पत्नि माना डांगी, निवासी विजनवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
6. श्रीमती छग्गा पिता रूपा जी डांगी, पत्नि वालू डांगी, निवासी भैसडाकला (मगरी), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
7. श्रीमती खेमी पिता रूपा जी डांगी, पत्नि कन्ना डांगी, निवासी रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
8. श्रीमती सागा पिता रूपा जी डांगी, पत्नि गेबा डांगी, निवासी नान्दवेल (लिलवा), तहसील मावली, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पत लाल बोहरा – वकील अपीलान्ट
2. श्री लोकश मेनारिया – वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 से 8

अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या 31/2015 दिनांक 31.10.2017

निर्णय

दिनांक 19.04.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या 31/2015 दिनांक 31.10.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मांगथला तहसील मावली में खाता संख्या 189, 180, 40, 41, 39, 37, 192, 191 में भेरा पिता किशना डांगी के नाम से खातेदारी हक में जमीन स्थित है। अपीलान्ट श्री कालु अनुसार वह भेरा का एक मात्र जायन्दा पुत्र है। उसके पिता के स्वर्गवास उपरान्त तहसीलदार, मावली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 285 दिनांक 11.01.1983 से स्वीकृत किया गया। विरासत का नामान्तरकरण कालु के नाम से खोला जाकर कालु के नाम से दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन रूपा जो भेरा पुत्र नहीं है बल्कि दामा, जो कि सोड़ावास का निवासी, उसके नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर लिया गया कथित नामान्तरकरण भेरा की जायन्दा पुत्र कालु के साथ रूपा ने अपने आप को कालु का पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण अपीलान्ट को बिना सुचना दिये खुलवा दिया जबकि रूपा का भेरा पिता किशना की जायदाद में कोई हक व अधिकार नही है। अतः अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 31.10.2017 से अपील अपीलान्ट अस्वीकार की। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 03.04.2018 को सुनी गई। वकील रेस्पों. संख्या 1 से 8 ने दिनांक 16.04.2018 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि विवादग्रस्त आराजीयात भेरा पिता किशना की नाम खातेदारी हक की जमीन होकर कालू अपीलान्ट एक मात्र जायन्दा पुत्र है। भेरा के स्वर्गवास उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण कालु के नाम से खोला जाकर कालु के नाम से दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन रूपा जो भेरा पुत्र नहीं है बल्कि दामा, जो कि सोड़ावास का निवासी, उसके नाम से नामान्तरकरण दर्ज कर लिया गया। दामा की मृत्यु के बाद दामा की पत्नि श्रीमती मोडी भेरा पिता किशना डांगी, निवासी मांगथला से नाता कर लिया तथा अपने पूर्व के पति दामा के नुत्फे के जन्में पुत्र रूपा को भी साथ में गेलड (बाकडा) लेकर आयी जिससे रूपा भेरा के यहा गेलड के रूप में रहा अर्थात रूपा पिता दामी जी डांगी, निवासी सोडावास का है तथा उसका भेरा पिता किशना की जायदाद में कोई हक अधिकार नहीं है, चूंकि रूपा भेरा का पुत्र नहीं है, लेकिन बिना किसी जांच के भेरा के केवल कालु ही जायन्दा पुत्र होते हुए भी रूपा का नाम जोड़ दिया गया जबकि अन्य दावे में जो की मांगीलाल पिता स्व. माना डांगी व अन्य ने भी रूपा पिता दामा डांगी व अन्य के विरूद्ध अन्य जमीन बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें रूपा ने स्पष्ट रुप से स्वीकार किया कि वह दामा का लड़का होकर विवादग्रस्त जायदाद का मालिक काबिज है तथा इस बात का सत्यापन भी रूपा पिता दामा द्वारा ही किया गया है। यहा तक कि इसका शपथ पत्र भी दिनांक 06.11.2009 को पेश किया गया। भेरा ने कभी किसी को गोद नहीं लिया था व गोद रखने का प्रश्न की पैदा नही होता। गोद से अगर कोई व्यक्ति हक अधिकार क्लेम करता है तो वह सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर अपने हक अधिकारों को तय करा सकता है। इस मामले में तो नेचुरल वारिस बनकर नामान्तरकरण खुलवाया है जबकि वह भेरा का कभी लड़का ही नहीं था। अगर किसी पास बुक में तथा अन्य स्थान पर पिता नाम गलत दर्ज करा दिया जाता है तो वह पिता नही हो जाता है। भेरा के एकमात्र पुत्र कुल है जिसकी तस्दीक पंचायत ने भी की है। गोद के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट्स द्वारा कोई साक्ष्य रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किये है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र यह कहकर कि अपीलार्थी द्वारा जो दाद चाही गयी है इसका निस्तारण मूल वाद में ही तय किया जा सकता है जबकि विवादग्रस्त जमीन के सम्बन्ध में मूल वाद पेंडिग ही नहीं है तथा ऐसा वाद केवल गोद लिया लड़का ही कर सकता है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में यह भी उल्लेख किया कि ग्राम सोडावास की विवादित भूमि पूर्व में दामा पिता वगता जी के नाम दर्ज थी। दामा जी की मृत्यु के बाद विरासत से रूपा पिता दामा के नाम दर्ज हुई इस प्रकार यह रूपा का एडमिशन है कि दामा का वह जायन्दा पुत्र है एवं दामा की जमीन दामा जी के स्वर्गवास के बाद उसी के खाते हुई। इस प्रकार का शपथ पत्र भी रेस्पोडेंट के पिता रूपा पिता दामा ने

न्यायालय में ओथ कमिश्नर से तस्दीक करा पेश किया था जिससे स्पष्ट है कि रूपा का स्वयं का एडमिशन है कि वह भेरा का लडका नहीं होकर दामा का लडका है। ऐसे व्यक्ति जो गेलड के रूप में भेरा जी यहा आया है, अगर वह भेरा जी की जायदाद में कोई राइट टाइटल क्लेम करता है तो उसे समक्ष न्यायालय से तय कराया जा सकता है म्यूटेशन तो केवल नेचुरल कार्यवाही में राइट टाईटल तय नही किया जा सकता है, म्यूटेशन केवल नेचुरल वारिसान के आधार पर ही किया जायेगा। कथित नामान्तरकरण भेरा का जायन्दा पुत्र कालु के साथ रूपा ने अपने आप को कालु का पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण अपील्लान्ट को बिना सुचना दिये खुलवा दिया जबकि रूपा का भेरा पिता किशना की जायदाद में कोई हक व अधिकार नही है। अन्त में अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कराने हेतु अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने लिखित बहस में बताया कि रूपा के पिता का नाम दामा नहीं होकर रूपा भेरा का गोदपुत्र था। अपीलान्ट तथा रूपा ने भेरा की मृत्यु उपरान्त कथित नामान्तकरण आदेश सहमति से स्वीकृत कराया। दिनांक 07.08.2012 को अपीलान्ट व उसके पुत्र मोहनलाल तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक संयुक्त शपथ पत्र भजा उर्फ भगा पिता गला डांगी जो अपीलान्ट व रेस्पोडेंट के पिता रूपा के रिश्ते में काका लगते थे एवं उनकी लाऔलाद मृत्यु हो जाने से उनके नाम की कृषि भूमि अपने नाम कराने हेतु शपथ पटवार हल्का मांगथला में प्रस्तुत किया जिसमें भी अपीलान्ट ने एक बार रूपा को अपना भाई होना मान लिया तो वह अपने वचन से प्रतिबद्ध है। उस पर विबन्धन का सिंद्वान्त लागु होता है। वह अपने कथनों से मुकर नही सकता है। हकिकत यह है कि अपीलार्थी के पिता भेरा जी द्वारा स्वर्गीय रूपा को गोद लिया था। तब से रूपा भेरा के यहा गोदपुत्र के रूप में बराबर का हक व अधिकार इसी तहत भेरा की मृत्यु के उपरान्त विरासत से रूपा एवं कालु बतौर वारिसान बराबर के हकदार होने से नामान्तरकरण हुआ। लेकिन वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ने से अपीलान्ट व उसके पुत्रों के मन में खोट आने से रूपा की मृत्यु के पश्चात उक्त अपील बेवजह रेस्पोडेंट की जमीन दुर्मशापूर्वक हड़पने की नियत से कहानी बनाकर मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत की गई है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। मौजा मांगथला तहसील मावली में खाता संख्या 189, 180, 40, 41, 39, 37, 192, 191 में भेरा पिता किशना डांगी के नाम से खातेदारी हक में जमीन स्थित है। श्री भेरा का स्वर्गवास होने पश्चात दिनांक 07.08.2012 को अपीलान्ट व उसके पुत्र मोहनलाल तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक संयुक्त

शपथ पत्र भजा उर्फ भगा पिता गला डांगी जो अपीलान्ट व रेस्पोडेंट के पिता रूपा के रिश्ते में काका लगते थे एवं उनकी लाऔलाद मृत्यु हो जाने से उनके नाम की कृषि भूमि अपने नाम कराने हेतु शपथ पत्र पटवार हल्का मांगथला में प्रस्तुत किया जिसमें भी अपीलान्ट ने रूपा को अपना भाई होना माना है तो वह अपने वचन से प्रतिबद्ध है। उस पर विबन्धन का सिंद्वान्त लागु होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने रुपा को भेरा का ही पुत्र होना पटवारी मांगथला को साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रतियां बचत खाता की पास बुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र की छाया प्रति, पटवारी मांगथला को विरासत से नामान्तरकरण दर्ज कर खाता रद्दोबदल कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, शपथ पत्र. दिनांक 07.08.12 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। उसमें भेरा के दो पुत्र रुपा व कालु को बताया गया है एवं दिनांक 11.01.1983 से आज दिनांक तक रुपा, भेरा का पुत्र रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेज एवं तथ्यों पर विचार कर नामान्तरकरण की कार्यवाही को एक फिस्कल प्रोसिडींग के माध्यम से हक हकूक तय नहीं करवाये जा सकते है। जिसमें यह तय नहीं किया जा सकता है कि रुपा क्या गेलड़ पुत्र था या गोदपुत्र था। यह कानूनी बिन्दू होने से साक्ष्य सबूतों के आधार पर दावे में ही तय किया जा सकता है। अपीलार्थी यदि कोई हक–हकुक रखता है, तो वाद दायर करा दाद प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज की। उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर